फिल्म 'शक्ति शालिनी' में अनीत पड्डा ने किया कियारा को रिप्लेस



'सैयारा' गर्ल अनीत पड्डा के फैंस के लिए खुशखबरी है। जल्द ही एक्ट्रेस की नई फिल्म आने वाली है। मैडॉक फिल्म्स की नई हॉरर फिल्म 'शक्ति शालिनी' में अनीत लीड रोल में दिखेंगी। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म 'थामा' के रिलीज होते ही इस सस्पेंस से परदा हट गया है। मेकर्स ने 'शक्ति शलिनी' से अनीत के जुड़ने की घोषणा एक खास वीडियो के साथ किया। इस वीडियो को फिल्म 'थामा' के थिएट्रिकल प्रिंट के साथ दिखाया गया। हालांकि, ये क्लिप सोशल मीडिया पर लीक हो गया। इस क्लिप में अनीत को क्रिएटर, विध्वंसक और सबकी जननी बताया गया है। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी वायरल हो रही है, जिसमें एक महिला सफेद लहंगे में लंबी चोटी के साथ जंगल में खड़ी नजर आ रही है। हालांकि, वायरल फोटो में महिला का चेहरा नजर नहीं आ रहा है। बता दें कि पहले ये फिल्म इसी साल के शुरुआत में रिलीज होने वाली थी लेकिन अब ये 24 दिसंबर 2026 को रिलीज होगी। वहीं 'शक्ति शालिनी' के लिए मेकर्स की पहली पसंद कियारा आडवाणी लेकिन अब उनकी जगह अनीत लीड रोल निभा रही हैं। ये अनीत की पहली हॉरर फिल्म होगी।

4 को ओटीटी पर रिलीज होगा शो 'स्क्विड गेम: द चैलेंज 2'

ब्लॉकबस्टर कोरियन वेब सीरीज 'स्क्विड गेम' के 3 सीजन आ चुके हैं। तीनों ही सीजन को दर्शकों की शानदार प्रतिक्रिया मिली है। अब इस सीरीज पर आधारित रियलिटी शो 'स्क्विड गेम: द चैलेंज 2' आपका मनोरंजन करने के लिए आ रहा है। इसके जरिए एक बार फिर 456 खिलाड़ी करीब 40 करोड़ रुपए के इनाम के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। 'स्क्विड गेम: द चैलेंज 2' को अगले महीने से रिलीज किया जाएगा। मेकर्स ने इसका शेड्यूल 3 हफ्तों का रखा है, जिसके तहत एपिसोड 1 से 4 तक 4 नवंबर को रिलीज किए जाएंगे। 5 से 8 तक के एपिसोड को 11 नवंबर को और आखिरी एपिसोड 9 को 18 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा। निर्माताओं ने शो का टीजर पहले ही जारी कर दिया था।



'तेरे नाम 2' में फिर दिख सकते हैं सलमान, स्क्रिप्ट पर चल रहा काम

इस फिल्म में सलमान के साथ नई एक्ट्रेस को कास्ट किया जाएगा

भास्कर नेटवर्क | मुंबई

बॉलीवुड के गलियारों में इस समय सबसे बड़ी खबर सुपरस्टार सलमान खान की कल्ट क्लासिक फिल्म 'तेरे नाम' (2003) के सीक्वल को लेकर है। लगभग दो दशक बाद 'राधे' और उसकी दर्द भरी प्रेम कहानी को फिर से बड़े परदे पर जीवंत करने की तैयारी चल रही है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार...'निर्माता साजिद नाडियाडवाला इस फ्रेंचाइज को वापस लाने के लिए गंभीर रूप से विचार कर रहे हैं और सबसे रोमांचक बात यह है कि वह इस बार भी सलमान खान को ही मुख्य भूमिका में देखना चाहते हैं।' 'तेरे नाम' एक ऐसी फिल्म है जिसने न केवल सलमान खान के करियर को एक नया मोड़ दिया, बल्कि 'राधे मोहन' के किरदार और उनके हेयरस्टाइल ने पूरे देश में एक लहर पैदा कर दी थी। फिल्म की दुखद प्रेम कहानी और भावनात्मक गहराई आज भी दर्शकों के दिल में ताजा है। इस सीक्वल का विचार सबसे पहले फिल्म के ओरिजनल निर्देशक, दिवंगत फिल्ममेकर सतीश कौशिक ने 2020 में सामने रखा था।

साजिद राइट्स के लिए मेकर्स से कर रहे हैं बातचीत

ट्रेड सर्कल्स से मिली जानकारी के मुताबिक...'साजिद नाडियाडवाला ओरिजनल फिल्म के निर्माताओं सुनील मनचंदा और मुकेश तालरेजा से फ्रेंचाइज राइट्स हासिल करने के लिए बातचीत के उन्नत चरण में हैं। नाडियाडवाला का मुख्य उद्देश्य इस IP (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी) का पूर्ण स्वामित्व हासिल करना है, ताकि उन्हें फिल्म को अपनी रचनात्मक दृष्टि (Creative Vision) के अनुसार ढालने की पूरी आजादी मिल सके। साजिद नाडियाडवाला की तरफ से सलमान खान को वापस लाने की पूरी उम्मीद है, लेकिन सुपरस्टार ने अभी तक कोई औपचारिक हामी नहीं भरी है। एक करीबी सूत्र ने बताया...'सलमान ने इस प्रोजेक्ट के बारे में सुना है, लेकिन वह किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए तब तक कमिटमेंट नहीं देते, जब तक कि उन्हें कार्यकारी स्क्रिप्ट, फिल्म का बजट और राइट्स के बंटवारे पर पूरी तरह से स्पष्टता न मिल जाए।'

नए अवतार में नजर आएगी फिल्म की कहानी

सूत्रों के अनुसार...'सीक्वल में एक नई लीड जोड़ी दिखाई देगी, यानी 'तेरे नाम' की नायिका के लिए एक नया चेहरा हो सकता है। यह भी देखना दिलचस्प होगा कि सलमान खान 2003 के 'राधे' की कहानी को आगे बढ़ाएंगे या एक पूरी तरह से नए अवतार में दिखेंगे। कानूनी और वित्तीय प्रक्रियाएं पूरी होते ही सलमान को अंतिम रूप दिया जाएगा, और उसके बाद ही निर्देशक की घोषणा होगी।

सलमान इन दिनों गलवान की शूटिंग में बिजी हैं

साजिद और सलमान की जोड़ी 'किक' के सीक्वल पर भी काम कर रही है। स्क्रिप्टिंग का काम चल रहा है। सलमान इन दिनों अपनी ड्रामा फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग में बिजी हैं। सितंबर में लद्दाख में फिल्म का पहला शेड्यूल पूरा करने के बाद अब यूनिट ने 10 अक्टूबर से मुंबई में अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बन रही इस फिल्म के अगले चरण का काम शुरू कर दिया है।

फ्रंट पेज के शेष

भारत के वन दुनिया में 9वें और बढ़ते क्षेत्र में तीसरे स्थान पर...

भारत इस सूची में नौवें स्थान पर होने के साथ वन क्षेत्र के लिहाज से दुनिया की टॉप-10 अर्थव्यवस्थाओं में भी शामिल है। एशिया में चीन व इंडोनेशिया के बाद भारत तीसरे पायदान पर है। रिपोर्ट कहती है कि एशिया एकमात्र महाद्वीप है, जहां 1990 से 2025 के बीच वन क्षेत्र में निरंतर बढ़ोतरी हुई है। एशिया में 16.2 लाख हेक्टेयर प्रति वर्ष की शुद्ध वन-वृद्धि (नेट गेन) दर्ज की गई है। इस बढ़ोतरी में भारत और चीन का सबसे बड़ा योगदान है, इसके उलट अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका जैसे क्षेत्रों में वनों का तेजी से क्षय हुआ है।

- **रबर के पेड़ उगाने में भारत 5वें पायदान पर** : रबर के पेड़ दुनिया के 20 देशों में मिलते हैं और दुनिया में कुल 1 करोड़ हेक्टेयर में रबर के वन हैं। बीते 35 वर्षों में करीब 10 लाख हेक्टेयर रबर के वन बढ़े हैं। थाईलैंड दुनिया में सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश है यहां 33 लाख हेक्टेयर में रबर के वन हैं, इसके बाद मलेशिया, चीन व वियतनाम हैं। 8.3 लाख हेक्टेयर रबर वन क्षेत्र के साथ भारत पांचवें स्थान पर है।

दुनिया के टॉप-10 देशों का वन क्षेत्र

देश	वन क्षेत्र	(बढ़ोतरी)
रूस	8,32,630	(20%)
ब्राजील	4,86,087	(12%)
कनाडा	3,68,819	(9%)
अमेरिका	3,08,895	(7%)
चीन	2,27,153	(5%)
कांगो	1,39,189	(3%)
आस्ट्रेलिया	1,33,562	(3%)
इंडोनेशिया	95,969	(2%)
भारत	72,739	(2%)
पेरू	67,160	(2%)

भारत के बांस के जंगल दुनिया में नंबर-1 : दुनिया के 33 देशों में बांस के जंगल हैं। ये कुल 3 करोड़ हेक्टेयर में हैं। इनमें से 2.12 करोड़ हेक्टेयर (70%) एशिया में हैं। इसमें भारत में 1.18 करोड़ हेक्टेयर और चीन में 85 लाख हेक्टेयर बांस के जंगल हैं। 1990 से 2025 के दौरान 35 वर्षों में दुनियाभर में बांस के जंगलों में 80 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है।

- **जंगल की लकड़ी निकालने में भारत नंबर-2** : फर्नीचर व कागज बनाने के लिए लकड़ी की खपत के मामले में भारत दुनिया में दूसरे पायदान पर है। दुनिया के कुल लकड़ी उत्पादन व उपयोग के मामले में भारत की हिस्सेदारी 9 फीसदी है जबकि इस मामले में 11 फीसदी हिस्सेदारी के साथ अमेरिका नंबर-1 है।

मेरा बेटा पंजाब के उन बहुत से युवाओं में से एक जिन्होंने नशे में फंसकर जिंदगी खो दी: मुस्तफा...

मोहम्मद मुस्तफा ने कहा, 'अकील ने नशे की हालत में झूठे और अपमानजनक आरोप लगाए। उसने 27 अगस्त को एक वीडियो बनाया, जिसमें हमें बदनाम किया। फिर 8 अक्टूबर को तीन मिनट का दूसरा वीडियो बनाकर माफी मांगी। उसे यह भी नहीं पता था कि दोनों वीडियो के बीच 40 दिन का अंतर है।' मुस्तफा ने कहा, 'बेटे की मौत के बाद मैं बेहद दुखी हूं, लेकिन कुछ लोग इसे सियासत का मुद्दा बना रहे हैं। मेरे बच्चे की मौत पर राजनीति हो रही है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं, वे खुद फ्रॉड के केसों में आरोपी हैं। मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। वे तो मेरे घर से दो किलोमीटर दूर रहते हैं। मैंने हमेशा कानून का सम्मान किया है। मैं खुद डीजीपी रहा हूं, जानता हूं कि शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज होती है। पुलिस ने एसआईटी बनाई है। मैं जांच में पूरा सहयोग दूंगा।'

आरोप लगाने वाला एमएलए का पीए, ये साजिश: मुस्तफा ने कहा, बेटे का कई जगह इलाज कराया। कई बार उसे दो-तीन दिन तक कमरे में बंद रखना पड़ता था।" उन्होंने आरोप लगाने वाले शख्स शमसुद्दीन पर पलटवार करते हुए कहा, "वह एक विधायक का पीए है। हमारे परिवार के खिलाफ साजिश रची जा रही है क्योंकि हम हाई-प्रोफाइल हैं।" पूर्व डीजीपी ने कहा कि बेटे की मौत के दिन यानी 16 अक्टूबर को जब उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला, तो वह मृत था। वह अत्यधिक ड्रग्स ले रहा था। हमें पहले से अंदेशा था कि हमारे खिलाफ आरोप लगेंगे, इसलिए हमने खुद ही पोस्टमार्टम कराया।

एसआईटी का पूर्व डीजीपी को नोटिस, कहा- मकान खुलवाकर कमरों की जांच कराएं: एसआईटी ने पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा को नोटिस जारी कर कहा है कि जिस घर में अकील रह रहा था, वो घर खुलवाया जाए और सभी कमरों की चेकिंग करवाई जाए। एसआईटी ने ये भी कहा कि सीसीटीवी फुटेज की जांच करवाई जाए, साथ ही अकील की डायरी समेत उससे जुड़े अन्य डॉक्यूमेंट तुरंत सब्मिट किए जाएं। बता दें कि अकील की मौत के बाद से ही मकान बंद पड़ा है।

शिकायकर्ता ने कहा- मेरे खिलाफ देशभर में कोई मामला दर्ज नहीं: अकील अख्तर मामले में शिकायतकर्ता शमशुद्दीन बुधवार को पंचकूला पुलिस में बयान दर्ज करवाने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि उन पर पूर्व डीजीपी की ओर से जो दर्ज मामले का जिक्र किया गया है वह बिल्कुल ही गलत है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ पूरे देश के किसी भी पुलिस थाना में एक भी मामला दर्ज नहीं है। पूर्व डीजीपी द्वारा शमशुद्दीन पर की गई प्रतिक्रिया पर शमशुद्दीन ने कहा कि अभी तक तो उन्होंने पिटबुल कहा है आगे देखते जाओ कि वह क्या क्या और कहेंगे। बता दें कि पूर्व डीजीपी ने शिकायतकर्ता पर प्रतिक्रिया करते हुए पिटबुल शब्द का इस्तेमाल किया था।

अब गांवों के विकास कार्य निदेशालय से होंगे मंजूर, एजेंसी को 3 चरणों के फोटो भेजने पर मिलेगा पैसा...

एस्टीमेट को भी निदेशालय से दी जाएगी मंजूरी : एस्टीमेट मंजूर कराने की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। इसके अनुसार 21 लाख रुपए तक सभी एस्टीमेट की जांच ग्राम पंचायतों को चीफ इंजीनियर-2 हेड क्वार्टर को भेजने होंगे, ताकि वे इसके बारे में सीनियर अधिकारियों को बता सकें। इसी प्रकार एक्सईएन की ओर से भी सभी एस्टीमेट चीफ इंजीनियर-1 हेड क्वार्टर यशवीर पवार को भेजने होंगे। ग्राम पंचायतों की ओर से विकास कार्य के बिल एचआरडीएफ के एकाउंट ऑफिसर को भेजने होंगे। इसके बाद सीनियर अधिकारियों के जरिए यह एचआरडीएफ के एमडी के पास जाएंगे। तभी ऑनलाइन भुगतान होगा। बिलों का सत्यापन किया जाएगा।

सोशल मीडिया पर एआई कंटेंट पर सख्ती, लेबलिंग अनिवार्य होगा...

इसके बाद अंतिम नियम अधिसूचित किए जाएंगे।

कंटेंट का 10% हिस्सा कवर करेगा : - एआई-जनरेटेड कंटेंट पर लगाया गया लेबल या डिस्क्लेमर विजिबल कंटेंट के कम से कम 10% हिस्से को कवर करना चाहिए।

- ऑडियो कंटेंट के लिए, लेबल या डिस्क्लेमर कंटेंट की कुल अवधि के पहले 10% हिस्से के दौरान दिखना अनिवार्य होगा।
- इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म को ऐसे किसी भी टूल या फीचर को सक्षम करने से रोका गया है, जो इन लेबल को 'संशोधित करने, दबाने या हटाने' की अनुमति देते हैं।
- इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म (जैसे सोशल मीडिया साइट्स) पर जिम्मेदारी होगी कि वे एआई से संबंधित खुलासों की सत्यता बनाए रखें।
- प्लेटफॉर्म को यह सुनिश्चित करना होगा कि यूजर्स सटीक जानकारी दे रहे हैं और यह घोषणा 'स्पष्ट रूप से प्रदर्शित' हो।

राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान
National Institute of Design
मध्यप्रदेश Madhya Pradesh

National Institute of Design, Madhya Pradesh
(An autonomous Institute of National Importance under DPIIT, Ministry of Commerce & Industry, Govt. Of India)

RECRUITMENT FOR THE VARIOUS POSTS AT NID MP

National Institute of Design, Madhya Pradesh (NID MP) invites offline application from eligible candidates for the following posts:
1. Chief Administrative Officer and Controller of Finance & Accounts – on Deputation/-Contract Basis (Notification No. NIDMP/1-70/ (17) Rectt.- Admin/2025 dated 07.10.2025). Last date for receipt of offline application: 30.11.2025. **2. Faculty /Designer Post(s)** – (Notification No. NIDMP/1-70/(19) Rectt.- Faculty/2025 dated 17.10.2025). Last date for receipt of Offline application: 30.11.2025. **3. Warden/Caretaker** (Male) – on Contract Basis (Notification No. NIDMP/1-70/ (18) Rectt.-Admin/2025 dated 16.10.2025). Last date for receipt of offline application: 20.11.2025. For detailed information regarding the offline application, educational qualifications, experience etc., please visit the Institute website: **https://nidmp.ac.in/ careers/.** Any addendum, corrigendum, extension of dates etc. shall be notified on the NID MP website only.
CAO (Offg)

भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान मोहाली
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE EDUCATION AND RESEARCH MOHALI
(Ministry of Education, Govt. of India)

पीएचडी प्रवेश (जनवरी 2026 सत्र)

आईआईएसईआर मोहाली में पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए भावी उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। जनवरी 2026 से शुरू होने वाले सत्र के लिए जैविक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, पृथ्वी एवं पर्यावरण विज्ञान और मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अंत:विषय क्षेत्रों में शोध करने के इच्छुक उम्मीदवारों को भी आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
पात्रता मानदंड, ऑनलाइन आवेदन पत्र और आवेदन प्रक्रिया का विवरण https://www.iisermohali.ac.in पर उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन सुविधा 03 नवंबर, 2025 (सोमवार) रात 11:59 बजे तक खुली रहेगी।

भा.कृ.अनु.प.-केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान,
काछवा रोड, जरीफा फार्म, करनाल-132001 (हरियाणा)
चल–साक्षात्कार (Walk-in-interview)

01 Young Professional-II का पद विशुद्ध अनुबंध के आधार पर इस संस्थान में भरा जाना है। इस पद की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु व अन्य अनुबंध एवं शर्तों संबंधी जानकारी भा.कृ.अ.प.-केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल की वैबसाईट **www.cssri.res.in** पर उपलब्ध है। इच्छुक उम्मीदवारों को अपने आवेदन सभी मूल दस्तावेजों सहित साक्षात्कार के दिन **प्रातः 09:00 बजे** पहुंच कर सहायक प्रशासनिक अधिकारी (स्थापना -I अनुभाग), केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल के पास जमा कराने होंगे।
सहायक प्रशासनिक अधिकारी, 0184–2209492

भास्कर CLASSIFIED

आवश्यकता
APPOINTMENT

होटल स्टॉफ
Mohali में जरूरत है बर्तन साफ करने वाला वेतन (18000), सफाई कर्मचारी वेतन (18000), रहना खाना Free, सम्पर्क करें 7626801110

ज्योतिष
ASTROLOGY

ज्योतिष
फीस नहीं ईनाम लूंगा। पंडित रविशंकर (गोल्ड मेडलिस्ट) मनचाहा प्यार/शादी, गृहक्लेश, पति-पत्नी अनबन, सौतन-दुश्मन छुटकारा, प्रेमविवाह। घरबैठे सभी समाधान #7055429792



भास्कर CLASSIFIED
से मेरी दुकान के लिए किराएदार मिलना हुआ बेहद आसान

दैनिक भास्कर क्लासीफाइड में विज्ञापन बुकिंग का सबसे सरल माध्यम
BhaskarAd.com
बनाए विज्ञापन बुकिंग आसान
• घर बैठे ऐड बुकिंग
• आसान ऑनलाइन पेमेंट
9772019222
अब आप क्लासीफाइड, वैवाहिकी, शोक संदेश और जाहिर सूचना के विज्ञापन भी सीधे बुक कर सकते हैं

Notice : Ads have not been verified factually and Bhaskar does ot stand responsible for the sales propositions.

पंजाब नेशनल बैंक pnb (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)
...जिस नाम पर आप भरोसा कर सकते हैं!

ई-नीलामी सूचना

कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट संख्या 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली-110075
सर्कल ऑफिस, करनाल
पताः बे 21-22, चौथी मंजिल, सेक्टर-12, करनाल ईमेलः cokn1samd@pnb.co.in

अचल संपत्तियों के लिए ई-नीलामी सूचना

ई-नीलामी की तिथि और समय: 26/11/2025 (बुधवार) सुबह 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन नियम, 2002) के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित।

एतद्द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से ऋणी (ऋणियों) एवं जमानतदार (गारंटरों) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित ऋणदाता के पास बंधक/प्रभारित है, जिसका रचनात्मक/भौतिक/प्रतीकात्मक कब्जा बैंक/(सुरक्षित ऋणदाता) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, संबंधित ऋणी(ऋणियों) एवं जमानतदार(ऋणियों) से बैंक/सुरक्षित ऋणदाता को देय राशि की वसूली हेतु नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि को **'जैसी है जहाँ है', 'जैसी है जो है' और 'जो कुछ भी है'** के आधार पर बेची जाएगी। आरक्षित मूल्य और बयाना राशि संबंधित संपत्तियों के समक्ष नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित अनुसार होगी।

सुरक्षित परिसंपत्तियों की अनुसूची

शाखा का नाम, खाते का नाम, उधारकर्ता/गारंटर का नाम और पता, खाता संख्या	गिरवी रखी गई अचल संपत्ति का विवरण (बंधक/मालिक का नाम (संपत्ति के बंधककर्ता)	(ए) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस की तारीख (बी) बकाया राशि (सी) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जा तिथि (डी) कब्जे की प्रकृति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	ए) आरक्षित मूल्य (लाख रूपये में) बी) ईएमडी सी) बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि	प्राधिकरण अधिकारी
1 शाखा कार्यालयः सहारनपुर रोड यमुनानगर 1) श्री. बिट्टू पुत्र श्री पूरन चंद (उधारकर्ता), मकान नंबर 37 डब्ल्यू नंबर 1, नालागढ़ का माजरा तहसील जगाधरी, यमुनानगर -135003, खाता नंबर 214000NC00003081, एनपीए की तिथिः 29.12.2023	आवासीय घर का वह पूरा हिस्सा जिसकी संपत्ति आईडी संख्या 154C162U63 है और जिसका माप 70 वर्ग गज है, मौजा नालागढ़ का माजरा में स्थित है, जिसे वर्तमान में नालागढ़ कॉलोनी, जगाधरी के नाम से जाना जाता है, नगर निगम, यमुना नगर-जगाधरी, तहसील जगाधरी, जिला यमुना नगर की सीमा के भीतर, हस्तांतरण विलेख संख्या 1326 दिनांक 24/05/2021 के स्वामित्व में है, जो उप-पंजीयक जगाधरी के कार्यालय में विधिवत पंजीकृत है, जो श्री बिट्टू पुत्र श्री पूरन चंद के नाम पर है, जिसकी सीमा इस प्रकार हैः उत्तरः 15'-0'' सुंदर लाल का घर, दक्षिणः 15'-0'' सुंदर लाल का घर, पूर्वः 42'-0'' दूसरों की संपत्ति, पश्चिमः 42'-0'' गली	ए) 23/04/2025 बी) रु. 7,92,562.46/-, जिसमें 31/03/2025 तक का ब्याज शामिल है, साथ ही 01/04/2025 से अनुबंधित दर पर अतिरिक्त ब्याज और अन्य व्यय, वसूली घटाकर, यदि कोई हो। सी) 30-06-2025 डी) सांकेतिक कब्जा	क) रु. 6,56,000/- ख) रु. 65,600/- ग) रु. 50,000/-	26/11/2025	देव राज सिंह
2 शाखा कार्यालयः सहारनपुर रोड यमुनानगर 1) श्रीमती ममता जैसवार पत्नी श्री जितेंद्र कुमार, मकान नंबर 125 जवाहर नगर, फरकपुर तहसील जगाधरी, यमुनानगर 135003 एचआर, खाता नंबर 214000NC00002772, एनपीए की तिथिः 29.12.2023	आवासीय घर का वह पूरा हिस्सा और पार्सल, जिसकी संपत्ति आईडी संख्या 335C532U151 है और जिसका माप 100 वर्ग गज है, यानी 00K-03M-03M, खेवट संख्या 58//50 मिन खतौनी संख्या 74 खसरा संख्या 167/4, 167/8 मिन में शामिल 06K-12M माप वाली भूमि का 1/40 हिस्सा है, जो मौजा ससौली मोसुम्मा जवाहर नगर, यमुनानगर में, नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी, तहसील जगाधरी, जिला यमुनानगर की सीमा के भीतर स्थित है, जिसे रजिस्ट्र के माध्यम से खरीदा गया है। बिक्री विलेख संख्या 5449 दिनांक 05/09/2018, उप पंजीयक जगाधरी के कार्यालय में विधिवत पंजीकृत, म्यूटेशन संख्या 7908 और वर्ष 2018-19 की जमाबंदी के साथ, ममता जैसवार पत्नी जितेंद्र कुमार के नाम पर है, जिसकी माप और सीमा निम्नानुसार है;- उत्तरः 30'0'' गली, दक्षिणः 30'0'' अन्य की संपत्ति, पूर्वः 30'-0'' अन्य का प्लॉट, पश्चिमः 30'0'' अन्य का मकान	ए) 11.12.2024 बी) रु. 10,20,982.55/- के लिए, जिसमें 30/11/2024 तक का ब्याज शामिल है, साथ ही 01/12/2024 से अनुबंधित दर पर अतिरिक्त ब्याज और अन्य व्यय, वसूली घटाकर, यदि कोई हो। सी) 21-02-2025 डी) सांकेतिक कब्जा	ए) रु. 14,83,000/- ख) रु. 1,48,300/- ग) रु. 50,000/-	26/11/2025	देव राज सिंह
03 शाखा कार्यालयः मुगल कैनाल करनाल श्रीमती पिटमो पत्नी श्री बीर सैन (उधारकर्ता/बंधककर्ता), मकान संख्याः 71, ए-508, पुराना चंद्रावल, सिविल लाइंस, एस.ओ. उत्तरी दिल्ली-110054, 2. श्री बीर सैन पुत्र श्री परसा राम (सह-उधारकर्ता), मकान संख्याः 71, ए-508, पुराना चंद्रावल, सिविल लाइंस, एस.ओ. उत्तरी दिल्ली-110054, खाता संख्याः 1465300001953, एनपीए की तिथिः 31-03-2025	मकान संख्या 337 (संपत्ति आईडी 117C434U408) का पूरा हिस्सा, जिसका माप 15.5' x 24' = 41.33 वर्ग गज है, गांधी नगर करनाल में नगर निगम सीमा करनाल के भीतर स्थित है। इसके सभी अधिकार पंजीकृत बिक्री विलेख संख्या 4578/1 दिनांक 28.09.2016 के अनुसार उप-पंजीयक करनाल के कार्यालय में श्रीमती पितमो पत्नी श्री बीर सैन (उर्फ वीर सैन) के नाम पर पंजीकृत हैं। जिसकी सीमा इस प्रकार हैः पूर्वः शकुंतला का प्लॉट साझा दीवार के साथ। पश्चिमः दूसरे मालिक की संपत्ति साझा दीवार के साथ। उत्तरः दूसरे मालिक का मकान साझा दीवार के साथ। दक्षिणः रास्ता	ए) 15.04.2025 बी) रु. 8,44,805.49/- के लिए, जिसमें 31.03.2025 तक का ब्याज, 01.04.2025 से लागू अतिरिक्त ब्याज और अन्य व्यय, वसूली घटाकर, यदि कोई हो। सी) 01-08-2025 डी) सांकेतिक कब्जा	ए) रु. 10,39,000/- ख) रु. 1,03,900/- ग) रु. 50,000/-	26/11/2025	सुनील कुमार गुप्ता
04 शाखा कार्यालयः सहारनपुर रोड यमुनानगर 1) श्रीमती प्रोमिला देवी पत्नी राम सिंह मकान संख्या 102, जवाहर नगर फर्कपुर यमुनानगरखाता संख्या 214000NC00003036, : एनपीए की तिथि : 31/03/2023	मकान का वह पूरा हिस्सा जिसका पीपीआईडी नं.335सी899यू26 है, प्लॉट नं.80 और प्लॉट नं.81 के पूर्वी भाग पर बना है, जिसका माप 200 वर्ग गज यानी 00 हजार-07 मीटर है, मौजा सासौली में स्थित है। मकान नं.420, जिसे अब नगर निगम, यमुना नगर-जगाधरी तहसील जगाधरी जिले की सीमा के भीतर जवार नगर, फर्कपुर, यमुना नगर के नाम से जाना जाता है। यमुना नगर वर्ष 2018-19 के लिए जमाबंदी के अनुसार, म्यूटेशन संख्या 7096 के साथ पढ़ें, बिक्री विलेख संख्या 8831 दिनांक 02.02.2017 द्वारा खरीदी गई, उप रजिस्ट्रार जगाधरी के कार्यालय में विधिवत पंजीकृत, विवरण निम्नानुसार हैः - ए) भूमि माप 00k-03m, भूमि माप 13k-18m में से 3/278 हिस्सा है, जिसमें खेवट संख्या 280/238, खतौनी संख्या 390, खसरा संख्या 41//1/2,9/5 शामिल हैं, बी) भूमि माप 00k-01m, भूमि माप 06k-13m में से 1/133 हिस्सा है, जिसमें खेवट संख्या 281/239, खतौनी संख्या 391, खसरा संख्या 41/2/1 शामिल हैं। सी) 00k-03m माप वाली भूमि, जो 21k-19m माप वाली भूमि में से 3/439 हिस्सा है, जिसमें खेवट संख्या 283/241, खतौनी संख्या 393, खसरा संख्या 41/11,12,13 शामिल हैं, विवरण निम्नानुसार है;- उत्तर- 36"-0" प्लॉट संख्या 57, दक्षिण- 36-0" गली 16 फीट 6 चौड़ी, पूर्व- 50-0" प्लॉट संख्या 79, पश्चिम- 50"-0" प्लॉट संख्या 81 का शेष भाग	ए) 25/04/2023 बी) 31/03/2023 तक के ब्याज सहित 9,79,133/- रुपये, 01/04/2023 से अनुबंधित दर पर अतिरिक्त ब्याज और अन्य व्यय, वसूली घटाकर, यदि कोई हो। सी) 20-10-2023 डी) सांकेतिक कब्जा	ए) रु. 16,11,000/- ख) रु. 1,61,100/- ग) रु. 50,000/-	26/11/2025	देव राज सिंह
05 शाखा कार्यालयः रेलवे स्टेशन के पास यमुनानगर 1. श्री विजय पाल सिंह (उधारकर्ता) मकान नंबर 9, मौजा मुंडा माजरा महादेव कॉलोनी गली नंबर 3 छिट्टा मंदिर रोड, यमुना नगर 135001, 2. श्रीमती नीलम सिंह पत्नी श्री विजय पाल सिंह (सह उधारकर्ता) मकान नंबर 9, मौजा मुंडा माजरा महादेव कॉलोनी गली नंबर 3 छिट्टा मंदिर रोड, यमुना नगर 135001, 3. श्री वंश पुत्र श्री विजय पाल सिंह (कानूनी उत्तराधिकारी) मकान नंबर 9, मौजा मुंडा माजरा महादेव कॉलोनी गली नंबर 3 छिट्टा मंदिर रोड, यमुनानगर 135001 खाता नंबर 00067011001891 और 0006109300000223 एनपीए की तिथि: 17.04.2025	मौजा मुंडा माजरा में आवासीय मकान नंबर 9 का वह पूरा पार्ट और पार्सल, पुराना पीपीआईडी नंबर 391सी442यू102 और नया पीपीआईडी नंबर 1केआरएनईएफए6, माप 166.66 वर्ग गज, जिसे वर्तमान में गली नंबर 03, महादेव कॉलोनी/मधु कॉलोनी, छित्ता मंदिर रोड यमुनानगर के नाम से जाना जाता है, जो श्रीमती नीलम पत्नी श्री विजय पाल सिंह के नाम पर पंजीकृत है, पंजीकृत हस्तांतरण विलेख संख्या 9261 दिनांक 20.12.2019 को उप-पंजीयक यमुना नगर के पास पंजीकृत है, जिसकी सीमा इस प्रकार हैः उत्तर - 30' पार्क, दक्षिण - 30' स्ट्रीट 20' चौड़ी, पूर्व - 50' डिंपल हाउस का घर, पश्चिम - 50' पप्पू के स्वामित्व में	ए) 25/04/2025 बी) रु. 10,22,286.87/- के लिए, जिसमें 31.03.2025 तक का ब्याज शामिल है, साथ ही 01/04/2025 से अनुबंधित दर पर अतिरिक्त ब्याज और अन्य व्यय,वसूली घटाकर, यदि कोई हो। सी) 09-07-2025 डी) सांकेतिक कब्जा	ए) रु. 29,00,000/- ख) रु. 2,90,000/- ग) रु. 50,000/-	26/11/2025	देव राज सिंह
06 शाखा कार्यालयः मुगल कैनाल करनाल 1. मैसर्स विश्वकर्मा शटरिंग स्टोर (उधारकर्ता/बंधककर्ता) इसके मालिक के माध्यम सेः 1. श्री श्रवण कुमार पुत्र श्री लाखन प्रसाद गुप्ता, उत्तम कॉलोनी, फूसगढ़ रोड, शिव मंदिर के पास, करनाल, 132001, 2. श्री प्रेम गुप्ता पुत्र श्री श्रवण कुमार (बंधककर्ता/उधारकर्ता) मकान नंबरः 1949-पी/एलआईजी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर 6, करनाल-132001, खाता नंबरः 1465210000921 एनपीए की तिथिः 30-06-2022	आवासीय मकान संख्या 1949-पी का पूरा हिस्सा, जिसका माप 36.23 वर्ग गज है, भूतल, एल.आई.जी., सेक्टर 6, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, करनाल (नगर निगम सीमा के भीतर) में स्थित है, उससे संबंधित सभी अधिकारों के साथ पंजीकृत हस्तांतरण विलेख संख्या 11242/1 दिनांक 23/01/2015 द्वारा श्री प्रेम गुप्ता पुत्र श्री सरवन कुमार के नाम पर और उप रजिस्ट्रार करनाल के कार्यालय में पंजीकृत है, जिसकी सीमाएं निम्नानुसार हैं: पूर्वः सड़क, पश्चिमः मकान संख्या 1950, उत्तरः सड़क, दक्षिणः मकान संख्या 1948	ए) 19/02/2025 बी) रु. 9,69,109.08/- के लिए, जिसमें 31.01.2025 तक का ब्याज और 01.02.2025 से लागू अतिरिक्त ब्याज, और अन्य व्यय, वसूली घटाकर, यदि कोई हो। सी) 01-08-2025 डी) सांकेतिक कब्जा	ए) रु. 20,40,000/- ख) रु. 2,04,000/- ग) रु. 50,000/-	26/11/2025	सुनील कुमार गुप्ता

स्थानीय निकायों/राज्य/केंद्र सरकार को देय बकाया राशि बैंक को ज्ञात नहीं है।
नियम और शर्तें: बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों और शर्तों और निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगी:
1. संपत्तियाँ 'जहाँ है जैसी है' और 'जो है जैसी है' और 'जो भी है' के आधार पर बेची जा रही हैं।
2. उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दिया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत कथन या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
3. **बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट https://baanknet.com पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से 26.11.2025 को सुबह 11.00 बजे की जाएगी।**
4. **बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया https://baanknet.com और https://pnb.bank.in देखें या संबंधित शाखा कार्यालय में जाएँ।**

सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत वैधानिक 30 दिनों की बिक्री सूचना

स्थान : करनाल
दिनांक : 21.10.2025

प्राधिकृत अधिकारी,
पंजाब नैशनल बैंक, सुरक्षित ऋणदाता